

प्रखण्ड-कुशेश्वरस्थान पूर्वी, ( बिरौल अनुमंडल)

दावा/आपत्ति अन्तर्गत जॉचोपरान्त दिनांक-28.09.2018 को जिला चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित विवरणी

प्रखंड का नाम -कुशेश्वर स्थान पूर्वी

रिवित- अनु0जाति अन्य-1,पि0व0  
अन्य-1, अना0 अन्य-1,महिला-2

पंचायत का नाम -कुशेश्वरस्थान उत्तरी

क्र०	आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम तथा पूरा पता	कोटि	आयु	शैक्षणिक योग्यता (अंक एवं श्रेणी)	विशेष शैक्षणिक योग्यता (कम्प्युटर का ज्ञान)	संलग्न प्रमाण-पत्र का विवरण	दावा/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	दावा/आपत्ति पर अनुमंडल पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य	जिला चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पुजा कुमारी पति-विककी कुमार साह ग्राम-रामपुर राउत पो0+थाना-कु0स्थान	GEN	12-12-92	स्नातक 945/1500 प्रथम	CTTC	आवासीय आय, चरित्र, शैक्षणिक, अंक पत्र, कम्प्युटर, व्यपार स्थल ,स्वघोषणा	आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No-9315/18 में पारित आदेश के आलोक में परिवाद दायर कर मेधा सूची के क्रम सं0-2 पर चयनित अभ्यर्थी रंजीत कुमार, पिता-नागेश्वर पोद्दार द्वारा समर्पित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं रहने, मेधा सूची के क्रम सं0-4 पर चयनित अभ्यर्थी एकता कुमारी, पति-चन्दन कुमार साह के अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के बावजूद अनारक्षित कोटि में चयन करने, मेधा सूची की क्रम सं0-5 एवं 6 पर एक ही अभ्यर्थी के दो आवेदन देने तथा मेधा सूची के क्रम सं0-8 पर अंकित चंदन कुमारी को 6 महिना का ही कम्प्यूटर ज्ञान होने के संबंध में आपत्ति है।	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक-894 दिनांक-20.09.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मेधा सूची क्रम सं0-4 पर चयनित अभ्यर्थी एकता कुमारी जिनका चयन अनारक्षित महिला एवं मेधा सूची क्रम सं0-8 पर चयनित अभ्यर्थी चन्दन कुमारी पि0वर्ग अन्य की रिवित-1 के विरुद्ध की गई है जो आपस में जैठानी एवं देवरानी है।	परिवादी के द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन दिनांक-21.09.2017 की प्रति CWJC No-9315/18 के प्रतिवादी सं0-05 से 09 तक को उपलब्ध कराते हुये उन सभी से परिवाद पत्र में अंकित बिंदुओं पर अपने जबाव एवं साक्ष्य के साथ दिनांक-13.10.2018 को अपराहन 4:00 बजे जिला चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

*Am*  
28/09/18  
जिला सहायिका  
पदाधिकारी, दरभंगा।  
(सदस्य)

*SS*  
28/09/18  
जिला सहायिका  
पदाधिकारी, दरभंगा  
(सदस्य)

*SS*  
28/09/18  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
बिरौल  
(सदस्य)

*SS*  
28/09/18  
अनुमंडल  
पदाधिकारी, सदर  
दरभंगा  
(सदस्य)

*SS*  
28/09/18  
अनुमंडल  
पदाधिकारी, देनीपुर  
(सदस्य)

*SS*  
28/09/18  
जिला आपत्ति पदाधिकारी,  
दरभंगा-सह-सचिव जिला  
चयन समिति

*SS*  
28/09/18  
जिला सहायिका  
पदाधिकारी, दरभंगा-सह-अध्यक्ष  
जिला चयन समिति

प्रखण्ड-कुशेश्वरस्थान पूर्वी, ( बिरौल अनुमंडल)

दावा/आपत्ति अन्तर्गत जॉचोपरान्त दिनांक-28.09.2018 को जिला चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित विवरणी

प्रखंड का नाम -कुशेश्वर स्थान पूर्वी	रिक्ति- अ0पि0व0 अन्य 1, पि0व0 महिला 1,अना0 अन्य 1 कूल-3	पंचायत का नाम -तिलकेश्वर
--------------------------------------	--	--------------------------

क्र०	आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम तथा पूरा पता	कोटि	आयु	शैक्षणिक योग्यता (अंक एवं श्रेणी)	विशेष शैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर का ज्ञान)	संलग्न प्रमाण-पत्र का विवरण	दावा/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	दावा/आपत्ति पर अनुमंडल पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य	जिला चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनिल साहु पिता-रतन साहु ग्राम+पो0-तिलकेश्वर स्थाना-कु0 स्थान	EBC	05-01-84	दसवी 210/700 पास		जाति, आवासीय आय, चरित्र, शैक्षणिक, अंक पत्र,, स्वघोषणा अनियोजन (शपथ पत्र)	आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No-11068/18 में पारित आदेश के आलोक में परिवाद दायर कर मेधा सूची के क्रम सं0-5 पर चयनित अभ्यर्थी श्री रामाकान्त रमण, पिता-रामजतन राय का पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में होने के बावजूद अति पिछडा वर्ग अन्य की रिक्ति-1 पर चयन की आपत्ति की है। श्री रमण के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	-	परिवादी के द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन दिनांक-20.09.2017 की प्रति CWJC No-11068/18 के प्रतिवादी सं0-06 को उपलब्ध कराते हुये परिवाद पत्र में अंकित बिन्दुओं पर अपने जबाव एवं साक्ष्य के साथ दिनांक-13.10.2018 को अपराहन 4:00 बजे आयोजित जिला चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

Am  
28/09/18  
जिला अधिकारी  
पदाधिकारी, दरभंगा।  
(सदस्य)

28/09/18  
जिला अधिकारी  
पदाधिकारी, दरभंगा  
(सदस्य)

28/09/18  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
बिरौल  
(सदस्य)

28/09/18  
अनुमंडल  
पदाधिकारी, सदर  
दरभंगा  
(सदस्य)

28/09/18  
अनुमंडल  
पदाधिकारी, बेनीपुर  
(सदस्य)

30  
28/9/18  
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
दरभंगा-सह-सचिव जिला  
चयन समिति

28/09/18  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा-सह-अध्यक्ष  
जिला चयन समिति

प्रखण्ड-किरतपुर, ( बिरौल अनुमंडल)


दावा/आपत्ति अन्तर्गत जाँचोपरान्त दिनांक-28.09.2018 को जिला चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित विवरणी

प्रखंड का नाम - किरतपुर

रिक्ति-अनु० जा० महिला-1,अना०  
महि-1,कुल-2


पंचायत का नाम -नरकटिया भण्डरिया


क्र०	आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम तथा पूरा पता	कोटि	आयु	शैक्षणिक योग्यता (अंक एवं श्रेणी)	विशेष शैक्षणिक योग्यता (कम्प्युटर का ज्ञान)	संलग्न प्रमाण-पत्र का विवरण	दावा/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	दावा/आपत्ति पर अनुमंडल पदाधिकारी का पुर्न जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य	जिला चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण
1	मनीषा कुमारी पति-रंजित चौपाल ग्राम-कदवारा पो०- थाना-जमालपुर जिला-दरभंगा।	अनु०जा० महिला	05-06- 1996	इण्टर 295 / 500 द्वितीय श्रेणी 59%		जाति, आवासीय,आय, चरित्र,शैक्षणिक- अंक पत्र, व्यापास्थल, अनियोजन,स्वघोषणा	आवेदिका के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के विरुद्ध चयन करने का आरोप लगाया गया है, जो सरासर गलत है। चयनित अभ्यर्थी के पास आंटा चक्की अभी है। जिसे छिपाकर गांव में अपने मामा के घर में रखा है। आरोपों की निष्पक्ष जाँच की जाय तो अभी भी आंटा चक्की का साक्ष्य मौजूद है जिसके लिये इन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।		जिला चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अपर समाहर्ता विभागीय जाँच से जाँच कराने हेतु निदेशित किया गया।


  
28/09/18  
जिला सहायिका  
पदाधिकारी, दरभंगा।  
(सदस्य)


  
28/09/18  
जिला सहायिका  
पदाधिकारी, दरभंगा  
(सदस्य)

  
28/09/18  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
बिरौल  
(सदस्य)

  
अनुमंडल  
पदाधिकारी, सदर  
दरभंगा  
(सदस्य)

  
28/09/18  
अनुमंडल  
पदाधिकारी, बेनीपुर  
(सदस्य)

  
28/09/18  
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
दरभंगा-सह-सचिव जिला  
चयन समिति

  
28/09/18  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा-सह-अध्यक्ष  
जिला चयन समिति

